FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

हरिओम वगैरह बनाम रामखिलाडी वगैरह

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.न. **84/2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.2025	प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश हुआ। कार्यालय रिपोर्ट सरिरता हो चूकी है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर वहस करने का निवेदन किया, प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी गई। सुनवाई व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों का भलीभांति अवलोकन व मनन करने के बाद प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie) प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 के विरूद्ध आगामी तारीख पेशी 29.08.2025 तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 वादगत भूमि आराजीयात खाता संख्या 27 के खसरा नम्बर 100, 144, 160, 227/1, 227/2, 68, 71/607, हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर भूमि ग्राम नांगल सुमेरसिंह पटवार हल्का जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति बनाये रखें। इस संबध में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो तारीख पेशी दिनांक 29.08.2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। उपरोक्तानुसार आदेश जारी हो। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये **Registered AD** वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.08.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी **मंडावर (दौसा)**	
	29.8.25 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को बार-2 आवाज दिलवाई गई। प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तामीलें। तामील रजि० डाक रसीदें पेश नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली प्रार्थी की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली में डिग्री	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हरिओम बनाम राधाबिहारी मु.नं.– 04/25 किस्म – T.I.	
	30.07.2025 को जारी दिनांक अन्तरिम स्थाई निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	